International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.in
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 72-75

"शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से प्रारंभिक शिक्षा स्तर का वास्तविक मूल्यांकन का समीक्षात्मक अध्ययन"

डॉ. अरुण कुमार ओझा

प्राचार्य, वैष्णवी शिक्षा महाविद्यालय, घुरेहटी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से प्रारंभिक शिक्षा स्तर का वास्तविक मूल्यांकन का समीक्षात्मक अध्ययन पर आधारित है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तीकरण के लिए आधारभूत मौलिक अधिकार है। इससे समाज का भी विकास होता है। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संसद ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया है। इसके तहत छः से लेकर चौदह वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पूर्णतः मुफ्त एवं अनिवार्य कर दिया गया है। शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुयी है। शोध क्षेत्र के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

शब्द कुंजी: शिक्षा के अधिकार, प्रभाव, प्रारंभिक शिक्षा, मूल्यांकन व समीक्षात्मक अध्ययन

1. प्रस्तावना

शिक्षण एक स्वयं में अति विस्तृत क्षेत्र है तथा अनुसन्धान किसी समस्या के समाधान के लिए चरणबद्ध पद्धति से किया जाने वाला प्रयास है। वहीं शैक्षिक अनुसन्धान से मूल प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप नवीन ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। निश्चय ही शैक्षिक अनुसन्धान अन्य सामाजिक तथ्यों से पृथक है क्योंकि अन्य सामाजिक विषयों के अनुसन्धान में नवीन ज्ञान की वृद्धि को ही महत्व दिया जाता है जबकि शैक्षिक अनुसन्धान में वृद्धि के साथ–साथ उसकी उपयोगिता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार शैक्षिक अनुसन्धान के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विषयों अथवा तथ्यों की खोज नवीन सिद्धांतों तथा सत्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।

वास्तव में समस्त मानव जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा का सम्बन्ध जितना व्यक्ति से है उससे अधिक समाज से है। मानव जीवन में जो कुछ भी अर्जित है वह शिक्षा का परिणाम है। व्यक्ति का चरित्र, व्यक्तित्व, संस्कृति, चिंतन, सूझ बूझ, कुशलताएं, आदतें तथा जीवन की छोटी से छोटी बातें शिक्षा पर निर्भर करतीं हैं वास्तव में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसकें द्वारा मानव शिशु सब प्रकार से विकसित होकर समाज में उपयुक्त स्थान ग्रहण करता हैं शिक्षा के माध्यम से सहस्रों वर्षो से समाज द्वारा अर्जित अनुभव बालक को हस्तांतरित कर दिये जाते है। शिक्षा के माध्यम से ही वह अपनी राष्ट्रीय थाती एवं संस्कृति पर निर्भर करता है। शिक्षा के द्वारा उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं संस्कति पर निर्भर करता है। शिक्षा के द्वारा उसके चरित्र का निर्माण होता है, उसका समाजीकरण होता है और वह मनुष्य की संज्ञा पाने योग्य बनता है। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक पीढी के साथ समाज की प्राचीन निधि का संरक्षण, संवर्धन एवं हस्तान्तरण होता रहता है। यदि शिक्षा न हो तो समाज का जन्म ही नहीं हो। समाज –जीवन का प्रवाह शिक्षा के कारण ही गतिशील होकर विकास की ओर अग्रसर होता है।

प्रारम्भिक शिक्षा जो शिक्षा का प्रारम्भिक स्तर है, आज विश्व के सभी देशों में प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन को सुलभ बनाने के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर जितने बालक–बालिकाएँ अध्ययन हेतु विद्यालयों में सुलभ होते हैं उतना अन्य किसी स्तर पर नहीं। इसीलिए प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों की संख्या माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक है। आज भी बहुत से अविकसित व विकासशील राष्ट्रों के अधिकांश बालक–बालिकाएँ मात्र प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् जीवन के मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। चूँकि इसी शैक्षिक स्तर पर ही व्यक्ति के शैक्षिक, सामाजिक, चारित्रिक तथा नैतिक स्तर का विकास सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए इस स्तर पर कार्यरत शिक्षकों का उत्तरदायित्व अन्य शैक्षिक स्तरों के शिक्षकों की तुलना में कुछ अधिक उपयोगी होता है। इस स्तर पर अध्ययनरत बालक–बालिकाएँ कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। शिक्षक शिल्पी के रूप में उन्हें जो आकृति प्रदान करता है वे उसी साँचे वाली आकृति में ढलकर अपने आपकों समाज की मुख्य धारा से जोड़ लेते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा की सर्वसुलभता, सर्वव्यापकता, समान अवसर की उपलब्धता, निरंतरता एवं गुणात्मकता जैसे उद्देश्यों को लेकर सर्व–शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई प्रोत्साहन योजनाएं यथा – सुरूचिपूर्ण मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश वितरण, साइकिल तथा छात्रवृत्ति वितरण योजना प्रारंभ की गयी है। इसका सर्वप्रमुख उद्देश्य नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित बालिका प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा बालिकाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के कारण उनमें शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- 6–14 वर्ष तक के हर बच्चें के लिए नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
- इस शिक्षा के लिए इन बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें किसी शुल्क अथवा खर्च की वजह से प्राथमिक शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा।
- यदि 6 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा किन्ही कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी

उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाएगा।

- अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वियत करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहां पर तीन वर्षो की तय अवधि में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।

2. शोध की आवश्यकता एवं महत्व

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम का आकंलन किया गया तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये गये जिनका प्रयोग कर राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर शैक्षिक सूचकों व लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से विकसित करने में समर्थ हो सकता है। चूंकि हमारे देश में सन् 2010 तक प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सकल नामांकन, शालात्यागी दर मे कमी तथा न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने का संकल्प लिया था। अतः इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की दिशा में इस शोधकार्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा शासन अपने उद्देश्यों के प्रति सुगमतापूर्वक सफल हो सकेगा। चूंकि यह शोध कार्य पूरे प्रदेश के लिए नवीन है इसलिए इसके प्राप्त सुझाव शिक्षा के विकास हेतु उपयोगी होंगे।

शिक्षा हेतु इन योजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन पर आधारित इस शोध कार्य का महत्व निम्नलिखित है–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से प्रारंभिक शिक्षा स्तर का वास्तविक मूल्यांकन हो सकेगा।
2. प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि योजनाओं का शालाओं में बालक एवं बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति तथा शैक्षिक उपलब्धि स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है?

3. उद्देश्य

किसी भी शैक्षिक शोध के कुछ निश्चित बिन्दु होते हैं, जिनको प्राप्त करने की दिशा मे शोध उन्मुख होता है। प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य यह है कि जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की वास्तविक स्थित का अध्ययन करना तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर इस विशेष अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रभाव की वास्तविकता को प्रकट कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य पूर्ति में इस शोध अध्ययन के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करना भी है। प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है :–

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु किये जा रहे शासकीय प्रयासों को ज्ञात करना।
2. रीवा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति ज्ञात करना।

4. परिकल्पनाएँ

शोध कार्य में परिकल्पना प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ है, जिससे समस्या समाधान को उचित दिशा मिलती है। विज्ञान में एक ही परिकल्पना को लेकर उसका परीक्षण करते हैं, किन्तु शैक्षिक अनुसंधान में अनेक परिकल्पनायें लेते हैं और प्रत्येक की सत्यता का परीक्षण करते हैं। अतः परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। शैक्षिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है जैसे–

जान डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार: "परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर व्याख्या की जाती है, जो आगे शोध कार्यों को निर्देशन देता है।"[1]

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् हैः–

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुई है।
2. 2.रीवा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

5. परिसीमांकन–

शोध हेतु रीवा जिले की राजस्व सीमा के प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालय के छात्र–छात्राओं का चयन दैव निर्देशन विधि द्वारा किया गया है।

6. न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है। जिले के सभी 9 विकासखण्डों से 5–5 विद्यालय कुल 45 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन द्वारा अध्ययन हेतु लिया गया। चयनित विद्यालयों से 10 छात्र–व 10 छात्राएं कुल 900 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु लिया गया। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा।

7. शोध विधि

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन के विधिवत सम्पादन के लिए निम्न शोध विधियों का चयन किया गया है–

7.1 अभिलेख अध्ययन विधि : शोध कार्य के तथ्यपूर्ण उपलब्धि के लिए अभिलेख अध्ययन विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। अभिलेख अध्ययन से तात्पर्य, शोध समस्या से सम्बंधित उन समस्त अभिलेखों, पुस्तकों, ज्ञान कोषों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, शोध–पत्रों प्रकाशित व अप्रकाशित शोध प्रबंधों से है, जिनके अध्ययन से शोधार्थी को अपनी शोध समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है।

7.2 साख्यिकीय विधि : सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार विधि से प्राप्त ऑकड़ो का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है। जिनकी व्याख्या एवं विश्लेषण हेतु, सांख्यकीय विधियाँ प्रयोग में लाई गयी है। प्रस्तुत शोधकार्य में परिकल्पनाओं का परीक्षण सांख्यकीय विधियों द्वारा करने के लिये– Mean, प्रतिशत (%), S.D., Chisquare test, 'T' Test आदि प्रयोग किये गये है, साथ ही गुणात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान रखा गया हैं।

8. पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती

है इनमें से मुख्य रूप से शर्मा (2007)[2], मंगल (2005)[3], पाठक (20013)[4], गुप्ता (1997)[5], भोलेराव (2015)[6] एवं त्रिपाठी (2007)[7] ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये है।

9. शोध उपकरण :

9.1 छात्र परीक्षण पत्रक : शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा उनके ज्ञान की अभिवृद्धि करती है। अधिगम का स्थानांतरण उसी अवस्था में सार्थक हो सकता है जब छात्रों द्वारा विधिवत उसे आत्मसात कर लिया गया किया हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक समय–समय पर मूल्यांकन प्रविधियों द्वारा यह मूल्यांकन करें कि छात्र के अधिगम का स्तर किस प्रकार का है। इस प्रकार जितना आवश्यक शिक्षण है उससे कम आवश्यक मूल्यांकन नहीं है।

शोधार्थी को अपने शोध अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है। इस हेतु छात्रों का मूल्यांकन करना आवश्यक प्रतीत होता है। शोधार्थी ने इस कार्य के लिए कक्षा 5 एवं कक्षा 8 के छात्रों के लिये छात्र परीक्षण पत्रक का उपयोग किया है। इन छात्र परीक्षण पत्रकों में प्रत्येक परीक्षण पत्रक को दो भागों मे विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में हिन्दी विषय के पाँच–पाँच प्रश्न रखे गये हैं तथा द्वितीय भाग मे गणित विषय के पाँच–पाँच प्रश्न रखे गये हैं।

9.2 शाला अभिलेख–पत्रक : शाला अभिलेख पत्रक द्वारा विद्यालय की सामान्य जानकारी, शिक्षकों के कुल पद, विद्यालय में छात्रों के नामांकन, शालात्यागी छात्रों एवं विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से सम्बंधित प्रश्नों द्वारा संकलन किया गया है।

10. शोध क्षेत्र का परिचय

जिला रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी कोने में स्थित है। रीवा का नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा नगर का नाम पहले शायद 'रेवा' रखा गया था। उसी का बिगड़ा रूप अब रीवा बन गया है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है। इसका आकार लगभग त्रिभुज के समान है। इसका विस्तार 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81.2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है।

11. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना – 1 "शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुई है।"

सारणी 1: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र.	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकित छात्र संख्या A	नवीन नामांकित छात्र संख्या B	प्रतिशत	वृद्धि दरत्र A-B	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2006-07	45	13562	1739	12-82	11823	14.71	-
2.	2007-08	45	13744	1784	12.98	11960	14.92	0.21
3.	2008-09	45	13791	1826	13.24	11965	15.26	0.34
4.	2009-10	45	13837	1869	13.51	11968	15.62	0.36
5.	2010-11	45	13929	1932	13.87	11997	16.10	0.49
6.	2011-12	45	13999	1979	14.14	12020	16.46	0.36
7.	2012-13	45	14066	2032	14.45	12034	16.89	0.42

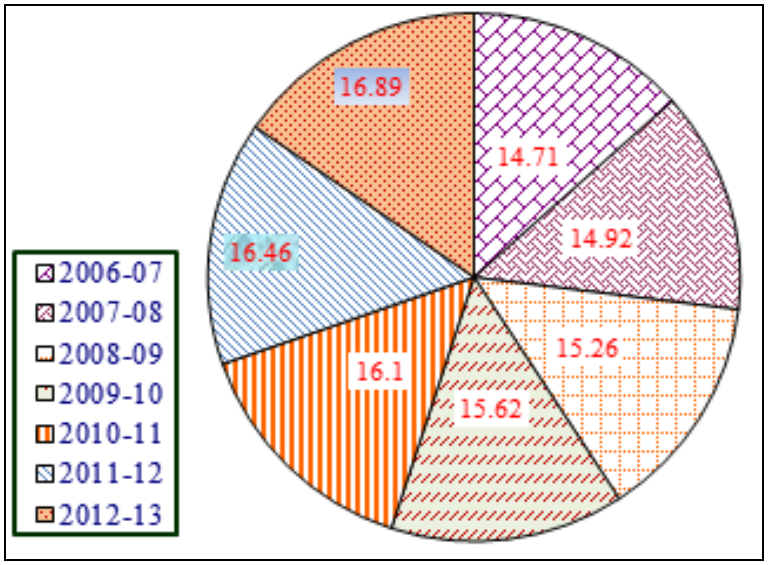

आरेख क्र. 1: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

विश्लेषण एवं व्याख्या : उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सत्र 2006–07 में छात्रों के नामांकन में वृद्धि दर 14.71 प्रतिशत, सत्र 2007–08 में 14.92 प्रतिशत, सत्र 2008–09 में 15.26 प्रतिशत, सत्र 2009–10 में 15.62 प्रतिशत, सत्र 2010–11 में 16.10 प्रतिशत, सत्र 2011–12 में 16.46 प्रतिशत एवं सत्र 2012–13 में 16.82 प्रतिशत वृद्धि हुयी है।
सत्र 2007–08 में 0.21, सत्र 2008–09 में 0.34, सत्र 2009–10 में 0.36, सत्र 2010–11 में 0.49, सत्र 2011–12 में 0.36 एवं सत्र 2012–13 में 0.42 वृद्धि दर हुयी है।
अतः शोधार्थी द्वारा परिकल्पित परिकल्पना क्र. 1 सत्यापित होती है।

परिकल्पना – 2 : रीवा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

सारणी 2: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर का अध्ययन (आधार छात्र परीक्षण पत्रक कक्षा–5 एवं कक्षा–8)

क्र.	प्राप्तांक की स्थिति	छात्र		छात्राएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0 से ऊपर किन्तु 40 अंक से कम (अधिगम स्तर की प्राप्ति नहीं)	98	21.77	113	25.11
2.	40 अंक से अधिक किन्तु 60 अंक से कम (न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति)	259	57.55	235	52.22
3.	60 अंक से अधिक किन्तु 80 अंक से कम (दक्षता की ओर अग्रसर)	72	16.00	75	16.66
4.	80 अंक से अधिक किन्तु 100 अंक से कम (दक्षता की प्राप्ति)	21	04.66	27	06.00

विश्लेषण एवं व्याख्या : उपरोक्त सारणी क्रमांक – 2 से न्यादर्श हेतु चयनित अध्ययनरत 450 छात्रों एवं 450 छात्राओं के न्यूनतन अधिगम स्तर सम्बंधी जानकारी का संकलन किया गया है। शोध क्षेत्र में अध्ययनरत 21.77 प्रतिशत छात्र एवं 25.11 प्रतिशत छात्राएँ अधिगम स्तर की प्राप्त, जबकि 57.55 प्रतिशत छात्र एवं 52.22 प्रतिशत छात्राओं ने न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार से 16.00 प्रतिशत छात्र एवं 16.66 प्रतिशत छात्राएँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम की ओर अग्रसर है, तथा 4.66 प्रतिशत छात्र एवं 6.00 प्रतिशत छात्राओं ने दक्षता की प्राप्ति कर ली है। शोध क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर अध्ययनरत कुल छात्र–छात्राओं में से छात्राओं का न्यूनतम अधिगम स्तर, छात्रों के न्यूनतम अधिगम स्तर से कुछ अधिक है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है।

सारणी 3: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर का सांख्यिकीय विश्लेषण

क्र.	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	परिणाम
01	छात्र	450	49.3	17.11	0.33	सार्थक अन्तर है।
02	छात्राएँ	450	48.9	18.82		

विश्लेषण एवं व्याख्या : शोध क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र और छात्राओं की न्यूनतन अधिगम स्तर के मध्य अन्तर की गणना एवं उसका परीक्षण किया गया है। औसत उपस्थिति के मध्य अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु **t** के मान की गणना की गयी है। गणना से प्राप्त **t** मान 0.33 प्राप्त हुआ है जो सारणी में दिए गए दोनों ही विश्वास स्तर 0.05 और 0.01 पर मानक मान 2.02 और 2.71 से बहुत कम है।
अतः शोधार्थी द्वारा परिकल्पित परिकल्पना क्र. 2 सत्यापित होती है।

12. निष्कर्ष

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के शाला अभिलेख अवलोकन पत्रक के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं के नामांकन वृद्धि की जानकारी प्राप्त की। शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सत्र दर सत्र 2006–07 से 2012–13 (सारणी क्र. 1) में नामांकन में वृद्धि हुयी है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुयी है।
शोध क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र और छात्राओं की न्यूनतन अधिगम स्तर के मध्य अन्तर की गणना एवं उसका परीक्षण किया गया है। औसत उपस्थिति के मध्य अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु **t** के मान की गणना की गयी है। गणना से प्राप्त **t** मान 0.33 प्राप्त हुआ है जो सारणी में दिए गए दोनों ही विश्वास स्तर 0.05 और 0. 01 पर मानक मान 2.02 और 2.71 से बहुत कम है। सारणी क्रमांक 2–3 से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र–छात्राओं के अधिगम स्तर में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। (सारणी क्र. 2–3)

13. संदर्भ

1. सरीन, शशिकला एवं सरीन, अंजली– शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा–2 नवीनतम संस्करण 1998 पृष्ठ संख्या– 82
2. शर्मा, राजकुमारी, श्रीवास्तव एस.बी.एन., दुबे, एस.के. (2007)–भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें। राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा।
3. मंगल, एस.के. एवं मंगल श्रीमती शुभ्रा (2005) – विद्यार्थी विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लायल बुक डिपो.
4. पाठक, पी.डी. एवं मंगल, एस.के. (2013) – अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशन्स.
5. गुप्ता, एस.पी. (1997) : सांख्यिकी विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
6. भालेराव, चन्द्रकान्ता एवं श्रीवास्तव, आशा (2015) – माध्यमिक स्तर पर मध्यप्रदेश में आदिवासी शिक्षा का विकास, रिसर्च लिंक, 135 टवसण् ग्प्ट;4द्धए चचण् 117.118ण्
7. त्रिपाठी रेणु एवं त्रिपाठी, अर्पणा (2007), भारत में प्राथमिक शिक्षा, प्रथम संस्करण, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली